International Journal of Applied Research 2020; 6(10): 130-132

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(10): 130-132
www.allresearchjournal.com
Received: 18-05-2020
Accepted: 22-08-2020

राजन राम
शोधार्थी एवं सहायक प्राध्यापक (अनुबंध), राजनीति विज्ञान विभाग चास महाविद्यालय, चास, बोकारो, भारत

Corresponding Author:
राजन राम
शोधार्थी एवं सहायक प्राध्यापक (अनुबंध), राजनीति विज्ञान विभाग चास महाविद्यालय, चास, बोकारो, भारत

लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है 'असहमति'

राजन राम

प्रस्तावनाः

पिछले कुछ दिनों में लोकतंत्र का विचार, प्रस्तावना, नागरिकता, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विचार, लोकतंत्र में असहमति का विचार एक बौद्धिक एवं राजनीतिक विमर्श के रूप में पुनः उभरकर सामने आया है।

स्वस्थ लोकतंत्र में असमहति का दर्जा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह सत्ता को मर्यादित करता है। संविधान के मौलिक अधिकार संबंधी भाग में जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं उनमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति प्रमुख है। सर्वोच्च अदालत ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि असमहति लोकतंत्र के लिए सेफ्टी वाल्व की तरह है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने लोकतंत्र में असहमति की महत्ता पर फिर से जोर दिया है और उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित 15वें, न्यायमूर्ति पीडी देसाई स्मारक व्याख्यान 'भारत को निर्मित करने वाले मतों : बहुलता से बहुलतावाद तक' विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि असहमति लोकतंत्र के लिए सेफ्टी वॉल्व है और असहमति रखने वालों को राष्ट्रविरोधी या लोकतंत्र विरोधी बताना संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर चोट करती है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार देश के बहुसंख्यक समाज को परिभाषित करनेवाले ''मूल्यों और पहचान पर एकाधिकार'' का दावा नही कर सकती है। संविधान बनाने वालों ने भरोसा किया था कि आने वाली पीढियाँ एक साझा रिश्ता बनाएंगी, वे एकरूपता के बजाय बहुलतावाद को अपनाएंगी और यही भारत होने का विचार है। असहमति को देशद्रोह कहना या लोकतंत्र विरोधी करार देना लोकतंत्र पर हमला है। एक वैध सरकार बातचीत के प्रति समर्पित रहती है, वह राजनीतिक विरोध का स्वागत करती है, उसे दबाती नहीं है। नियम–कानून पर चलने वाला राज्य यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल वैध विरोध को कुचलने में न हो, बल्कि बातचीत के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में हो। उदार लोकतांत्रिक देश नागरिकों को हर तरीके से अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार देता है, इसमें विरोध प्रदर्शन भी शामिल है।

असहमति लोकतंत्र का एक 'सेफ्टी वाल्व'

असहमति पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी मशीनरी को लगाना डर की भावना पैदा करता है और स्वतंत्र शांति पर एक डरावना माहौल पैदा करता है जो कानून के शासन का उल्लंघन करता है और बहुलवादी समाज की संवैधानिक दूरदृष्टि से भटकाता है। सवाल करने की गुंजाइश को खत्म करना और असहमति को दबाना सभी तरह की प्रगति – राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिकता की बुनियाद को नष्ट करता है। असहमति को खामोश करने और लोगों के मन में डर पैदा होना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन और संवैधानिक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता से आगे तक जाता है। जब हम असहमत होने के अधिकार को नकार देते हैं तो बदलाव की संभावना को भी नकार देते हैं। इसी से तो समाज बर्बर होता जाता है। यदि हम बड़ी संख्या में असहमति जताने के अपने अधिकार की रक्षा करें तो बदलाव सुनिश्चित होगा। बिना किसी रूकावट या भय के सोच–विचार करने और उसे बिना लाग–लपेट लिखने, बोलने और कहने की आजादी, यही तो सुदृढ़ लोकतंत्र को आधार प्रदान करती है। हमारे जैसे सुंदर विविधताओं वाले देश में कभी छीना न जा सकने वाला असहमति का अधिकार ही हमें एक राष्ट्र के रूप में वह बनाता है जो हम हैं। लोकतंत्र में सभी को असहमति का अधिकार होना चाहिए। यदि इससे लोगों को वंचित किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होगा। असहमति को दबाना और लोगों के दिमाग में डर पैदा करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और साथ ही एक संवाद केन्द्रित लोकतांत्रिक समाज की स्थापना को भी बहुत मुश्किल बना देता है।

असहमति का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा को बनाए रखना भी जरूरी

नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे सभी कानून और नीतियों को सार्वजनिक पटल पर रख दें ताकि लोग बदलाव की प्रक्रिया में असली भागीदार बनें। विरोध करते समय किसी भी दशा में लोकतांत्रिक मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों को अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। उपराष्ट्रपति श्री एम वैंकेया नायडू ने रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र का मतलब चर्चा और बहस है, ना कि तोडफोड, अवरोध या विध्वंस। असहमति के नाम पर राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते, इसे सबको समझना होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। सही है कि यह अधिकार असीमित नहीं है। संविधान ने 19 (2) के तहत कुछ मर्यादाएँ तय की हुई है। मसलन, राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर आंच आने, कानून–व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होने, भिन्न–समुदायों के बीच वैमनस्यता पैदा करने की स्थितियों में संबंधित सामग्री को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच संतुलन कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है। असहमति का अधिकार भी लोकतंत्र का बुनियादी आधार है। यह सही है कि आपातकाल समेत कई मौकों पर सत्ता व्यवस्था से असहमति को देश विरोधी बताते हुए सत्ताधीशों ने विरोधियों के दमन का प्रयास किया है, लेकिन उसके अंतिम परिणाम कभी भी दमनकारियों के पक्ष में नहीं रहे।

देश भर में कानूनों की स्थिति परिवहन नियमों की अवहेलना करने से लेकर छोटे–बड़े घोटालों तक विस्तृत है। कानून का उल्लंघन करना एक तरह से लोगों के आम व्यवहार में शामिल होता जा रहा है, जबकि लोकतंत्र का दायित्व जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। ऐसा समाज, जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रधानता हो। इन तीनों पैमानों पर भारतीय लोकतंत्र स्वयं का विकास नही कर पाया है और उसमें सकारात्मक परिवर्तन की बजाय नकारात्मकता बढ़ी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर ऐसा कौन सा तत्व है जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को अब तक बचाये हुए है और उसकी स्थापना को मजबूत भी बनाकर रखे हुए हैं। जन–जागरूकता के चलते देश में लगातार आंदोलन और असहमतियों का प्रसार हुआ है। इन असहमतियों का रूप स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं से लेकर संसद तक सभी जगह देखा जा सकता है। यही असहमतियां और आंदोलन लोकतंत्र को व्यापक विस्तार दे रहे हैं। कई बार लोकतंत्र में संवाद के अवरूद्ध हो जाने पर असहमतियां ही वे मुख्य बिंदु होती है जो संवाद को फिर से स्थापित करने में मदद करती है। चूंकि यह असहमतियां न सिर्फ संस्थाओं की कार्यप्रणाली का विकास करती है बल्कि आम जीवन में भी विचारों को परिपक्व बनाती हैं। यही कारण है कि समाज के विभिन्न हिस्सों में लगातार अनेक मुद्दों पर असहमतियां बन रही हैं – समाज, सरकार और व्यवस्था तीनों के विरोध में। इनकी वजह से सबसे अधिक सकारात्मक पक्ष यह उभरता है कि जहाँ भी ऐसी असहमतियां उभरती है, वहाँ पर व्यवस्था का पूर्ण विवेचन होता है और उसकी खामियां सामने आती है और उनके समाधान की कोशिश होती है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है जो लोकतंत्र के लिए आक्सीजन का कार्य करते हैं। इनकी वजह से भागीदारी का पैमाना बदलता है और जो वर्ग हाशिये पर है उसकी राजनीतिक चेतना का भी विकास होता है। पिछले कुछेक सालों में भारत में आंदोलनों और असहमतियों का काफी विस्तार हुआ है। आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओ, बच्चों और ट्रांसजेंडर से जुड़े जल, जंगल जमीन से लेकर सूचना, शिक्षा और भोजन का अधिकार, समानता, नागरिकता, आरक्षण, रोजगार व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर व्यापक पैमाने पर संसदीय राजनीति से लेकर आम जन जीवन तक बहस का दायरा बढ़ा है।

असहमति हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए

किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के लिए वहाँ की जनता का अपने संविधान में आस्था होना चाहिए और लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास होना जरूरी है। वैचारिक असहमति ही भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता है और यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी हैं। इसके कारण देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में किसी भी संवैधानिक विषय पर अपने वैचारिक मतभेद के चलते विभिन्न पार्टियों के सांसद संवाद के माध्यम से अपना–अपना मत प्रकट करते रहते हैं।

लोहिया नेहरू की नीतियों और नेतृत्व से असहमत थे। संसद और सड़क पर भी। गैर कांग्रेसवाद का नारा उन्होंने ही दिया था। विपक्षी दलों को गोलबंद करके कांग्रेस के कई प्रांतीय सरकारों को अपदस्थ किया। फिर भी वे संसद में भी और सड़क पर भी पूजित व सम्मानित रहे। इंदिरा गांधी की राजनीति से असहमत रहे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का बिगुल फूंका। असहमति चाहे लोहिया की रही हो या फिर जयप्रकाश नारायण की वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर की असहमति थी, राष्ट्र के खिलाफ नहीं।

वैचारिक असहमति के हिंसक उदारण भी हैं। महात्मा गांधी से वैचारिक असहमति होने की वजह से नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या की। इंदिरा गांधी की हत्या वैचारिक असहमति नहीं अपितु धर्म और आस्था से जुड़ी रंजिश का परिणाम थी। इसी तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी आंदोलन में हिंसा का प्रयोग एक तरह से वैचारिक असहमति न होकर विरोध के विरोध की राजनीति भी हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग लोकतंत्र में जिस असहमति की बात करता है वह लोहिया और जयप्रकाश नारायण की तरह असहमति की बात है। चुनाव तो असहमति व्यक्त करने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। पार्टियाँ अपने विचार कार्यक्रम, नीति, सिद्धांत व घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जाती हैं और तदनुसार उन्हें जनादेश मिलता है।

साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैचारिक मतभेद की संवैधानिक स्वीकृति के कारण ही निर्वाचन आयोग के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया गया है। पर किसी भी राजनीतिक दल ने अपने–अपने संविधान में देश के टुकड़े–टुकड़े करने के स्वप्न को जगह नहीं दी है। व्यक्ति, दल विचार पर वैचारिक मतभेद हो सकता है तथा लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यह होना भी चाहिए। पर व्यक्ति, दल और वैचारिक मतभेद करते–करते देश का विरोध और खंडित करने की मंशा रखने वाली विचारधारा का कदापि सहन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देश बचा रहेगा तभी वहां पर किसी विचारधारा, व्यक्ति या दल का अस्तित्व संभव होगा और देश ही नहीं होगा तो सभी बातें निरर्थक हैं। हमें इतिहास से सबक लेना होगा जब मुगलों और अंग्रेजों के आगमन से पहले देश विभिन्न विचारों और संप्रदायों में बंटकर वैचारिक असहमति को परकाष्ठा पर ले गये और लगभग नौ सौ सालों तक हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे। संसार में भारत विविधताओं के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विविधता में एकता के मंत्र को स्वीकार कर देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की बात को संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिया है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा कोई भी संवैधानिक अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान ने सभी संवैधानिक अधिकारों को दूसरे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीमित कर दिया है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा का अधिकार भी असीमित नहीं है, बल्कि दूसरे

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के चलते यह भी सीमित हे।

राष्ट्रद्रोह को असहमति के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए

असहमति की आवाज को बर्दाश्त करनें की क्षमता और उसको अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। पर इस अधिकार का इस्तेमाल असंवैधानिक तरीके से न किया जाए। राष्ट्रद्रोह को असहमति के साथ नहीं मिलाया जा सकता। हमारे देश में विभिन्न माओवादी एवं आतंकवादी संगठन भी सरकार से असहमत है, लेकिन उनकी विचारधारा राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ है। माओवादियों एवं आतंकवादी संगठनों का कृत्य देश के खिलाफ युद्ध है। माओवादियों की विचारध्रारा से सहमति रखने वाले बुद्धिजीवी और उनके कृत्यों को दलितों, शोषितों का सरकार के खिलाफ संघर्ष का नाम देना और हिंसा को जायज ठहराना किसी भी तरह से संवैधानिक कृत्य नहीं है। इसी तरह से आंतकवादियों की हिंसा को यह कहकर उनका बचाव करना कि वे भटके हुए युवा और मासूम पत्थरबाज हैं यह एक तरह से संविधान निर्माताओं के सपनों व मूल्यों पर पत्थर मारना है।

निःसंदेह लोकतंत्र में असहमति के लिए स्थान होना चाहिए और अगर विरोध का स्वर घुटेगा तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा, लेकिन हिंसक आंदोलनों में लिप्त तत्वों को असहमति की आड़ में छिपने का अवसर नहीं दिया जा सकता। राज्य के खिलाफ हथियार उठाने को अभिव्यक्ति की आजादी कदापि नहीं कहा जा सकता। इसे तो राष्ट्र–राज्य के विरूद्ध युद्ध ही कहा जाएगा। आज अगर भारत में लोकतंत्र और उसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है तो इसलिए नहीं कि यहां की सरकारों ने अपने ही लोगों पर जुल्म ढाए हैं। लोकतंत्र के भीतर असहमति रखना एक बात है, लेकिन लोकतंत्र से ही असहमति रखना गंभीर बात है। फिर तो सीधे–सीधे लोकतंत्र का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या असहमति इस सीमा तक होनी चाहिए कि लोकतंत्र और उसका पालन करने वाले राष्ट्र से ही असहमति हो जाए ?

संदर्भ स्रोत :

1. समसामसिक लेखों का सार संग्रह विभिन्न समाचार पत्रों से संकलित
2. गाबा, ओ.पी., लोकतंत्र की संकल्पना, समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त
3. वही, स्वतंत्रता की संकल्पना, समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त
4. वही, स्वतंत्रता की संकल्पना, राजनीति–विचारक विश्वकोश
5. वही, समाजवादी चिंतन : जयप्रकाश नारायण–राममनोहर लोहिया, राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा
6. बसु, डी.डी., मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान एक परिचय
7. https://www.satyahindi.com/india/justice-chandrachud-warns-labelling-dissent-as-anti-national-constitutional-values-107509.html
8. https://navbharattimes.indiatimes.com/india/blanket-labelling-of-dissent-as-anti-national-hurts-ethos-of-democracy-says-justice-chandrachud/articleshow/74151038.cms
9. https://www.prabhasakshi.com/national/there-is-right-to-disagreement-in-democracy-but-staying-in-democratic-mode-says-naveen-patnaik
10. https://khabar.ndtv.com/news/india/disagreements-are-welcome-in-democracy-but-cannot-talk-of-breaking-the-country-vice-president-venkai-2181120